

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,  
स्थानीय निकाय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2020

विषय: राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नागर स्थानीय निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 में नगरीय निकायों के लिये सामान्य समनुदेशन हेतु व्यवस्थित धनराशि रुपये 9300.00 करोड़ में से, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-91/दस-2020-1/2020, दिनांक 10.04.2020 द्वारा रुपये 775.00 करोड़ (रुपये सात सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) एवं शासनादेश संख्या-26/2020/बी-2-131/दस-2020-1/2019, दिनांक 13.07.2020 द्वारा रुपये 775.00 करोड़ (सात सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है ।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल नगरीय निकायों के लिये सामान्य समनुदेशन हेतु देय अगली किस्त रूपयें 775 करोड़ (रुपये सात सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि धनराशि का नगर निगमों, नगर पालिकाओं / नगर परिषदों / नगर पंचायतों के मध्य आवंटन पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर विचार करने हेतु गठित मा. मंत्रिपरिषद की उपसमिति की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा ।

(2) आवंटित धनराशि कोषागार से आहरित कर निकायों को उपलब्ध कराई जाएगी ।

(3) यदि किसी निकाय के समायोजन / कटौती की धनराशि शेष है, तो संबंधित निकायों को मिलने वाली उनके हिस्से की धनराशि में से समायोजन/कटौती किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि संबंधित निकाय को आवंटित किया जाय ।

(4) निकाय द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनांक सहित, निदेशक, स्थानीय निकाय उनसे प्राप्त करेंगे तथा संहत सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

(5) नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा, उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के उपयोग की समीक्षा की जायेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा:-

क्र.सं	निकाय का नाम	लेखाशीर्ष
1	नगर निगमों हेतु	“3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 191-नगर निगमों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन”
2	नगर पालिकाओं / नगर परिषदों हेतु	“3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन”
3	नगर पंचायतों हेतु	“3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन”

भवदीय,

आलोक दीक्षित  
विशेष सचिव।

संख्या:28/2020-बी-2-157(1)/दस-2020-1/2019, तददिनांक-

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 4- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित  
विशेष सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।